

(ड) लगी पूँजी पर 5 प्रतिशत का निवल लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या 45 थी।

औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी निवेश

4330. श्री राज मोहन्दर सिंह:

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में हुए कुल पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगा है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1997-98 के लिए इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों ने इनमें किये गये पूँजी निवेश के पांच प्रतिशत के बराबर भी लाभ नहीं कापाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन्होंने कितने प्रतिशत लाभ कमाया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, औद्योगिक प्रतिष्ठान जॉकि विभागीय उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, इनमें औद्योगिक क्षेत्र में कुल पूँजी निवेश का लगभग 31 प्रतिशत निवेश किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लगाई गई पूँजी पर प्रतिशत के रूप में 5.1 प्रतिशत लाभ अर्जित किया था।

स्वरोजगार हेतु खादी ग्रामोद्योग द्वारा ऋण दिया जाना

4331. चौथरी हरपोहन सिंह यादव:

श्री नागमणि:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वरोजगार दिलाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए खादी ग्रामोद्योग द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नई योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

ठद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग की परियोजनाएं किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आरंभ की जा सकती है। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांगों के मामले में दिया जाने वाला अनुदान अन्य वर्गों से अधिक होता है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वर्ग के अंतर्गत रोजगार के राज्य-वार अंतर्मित व्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिये)। तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्य वर्गों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) अंजाय/अंजाया के सर्वाधिक लाभानुभोगी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चमड़ा उद्योग के विभिन्न कार्यकलापों में संकेन्द्रित है। इस उद्योग के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसे स्थानों पर परियोजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जहाँ पर अनुसूचित जाति के चमड़े के कार्य के दस्तकारों की बहुतता हो। प्रारंभ में यह विचार था कि 200 परियोजनाएं स्थापित करके 2.00 लाख दस्तकारों को रोजगार प्रदान किया जाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सीमात धन योजना के अंतर्गत अंजाय/अंजाया, अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांग वर्गों के लाभानुभोगी को अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीमात धन प्रदान किया जा रहा है।

### विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगारों की राज्यवार संख्या

क्र०	राज्य/संघ	(लख रुपयित)	(लख रुपयित)
सं०	शासित प्रदेश	कुल खादी और अनुसूचित जाति/ग्रामोद्योग रोजगार जनजाति का भाग	
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3.74	1.19
2.	अस्सीचल प्रदेश	-	-
3.	असम	1.16	0.37
4.	बिहार	3.58	1.14
5.	गोवा	0.06	0.01
6.	गुजरात	1.10	0.35
7.	हरियाणा	0.96	0.30